



Case No. 105/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/ATY-1781/UP/1/2024-APCR

श्री संजय कुमार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला मुजफ्फरनगर -,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय,,
मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश -251001
Email Id: sspzuf-up@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **31/10/2025** को **15:40 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

- संदर्भ 1
- (i) प्रार्थी श्री वैभव जोशी तथा उनके कर्मचारियों के साथ जातिसूचक गालीगलौज - मार पीट-, जान से मारने, अवैध वसूली तथा व्यवसाय न करने देने की धमकी दिये जाने की शिकायत हेतु।
 - (ii) कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद मुजफ्फरपुर पत्र सं. एसटी-ई— 7(ए)/2024/38 दिनांक 09.12.2024
 - (iii) जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर पत्र सं 277/शिकायत प्रकोष्ठ दिनांक 18.12.2024

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 22/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

